

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(मुरारी लाल शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

14 / 2021
12.08.2021

- 1-मिन्दू पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी कालानाडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज०
- 2-पप्पू पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी कालानाडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज०

-अपीलान्त

बनाम

नायब तहसीलदार बरवास जिला-टोंक राजस्थान

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बरवास
दिनांक 29.07.2021 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

- उपस्थिति : (1) श्री शिवराज चांगल, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक. 19.08.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बरवास ने अपने आदेश दिनांक 29.07.2021 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 1282 में से रकबा 0.40 है० किस्म गै०मु० चरागाह वाके ग्राम कालानाडा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शारित कायम कर भूमि से वेदखल कर एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने नायब तहसीलदार बरवास के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांत की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांत को साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांत का उक्त आराजीयात पर कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नहीं



962



करवायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौका निरीक्षण किया गया है। पटवारी हल्का के साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलांत को गत वर्ष कौनसी पत्रावली में बेदखल किया गया का उल्लेख नहीं है। अपीलांत ने अपील मीमो के साथ कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलाण्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1282 में से रकबा 0.40 है० किस्म चरागाह वाके ग्राम कालानाडा तहसील टोडारायसिंह पर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांत द्वारा अपील मीमो के साथ शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.2021 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार बरवास यह सुनिश्चित करेंगे की अपीलांत का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांत द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांत कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलांत द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। नायब तहसीलदार बरवास हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




बि. ए. ए. लाल शास्त्री
अति. जिला कलेक्टर, टोक